न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–180/1997
जी.सी.एम.एस.नं.–1997/00001

1. मंहगी देवी बेवा साईदास जाति अरोड़ा निवासी चक 5 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.) (मृतक)

1/1 भगवान दास पुत्र साईदास (मृतक)

1/1/1 कृष्णादेवी पत्नी भगवानदास

1/1/2 राजकुमार पुत्र भगवानदास

1/1/3 बृजमोहन पुत्र भगवानदास

1/1/4 प्रवीण कुमार पुत्र भगवानदास

1/1/5 सुमन पुत्री भगवानदास अकवाम अरोड़ा सकनाऐ वार्ड नं.–7 रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/2 सुभाष पुत्र सांईदास जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/3 अमरावती पुत्री सांईदास जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/4 निर्मला देवी पुत्री सांईदास जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/5 कमलेश रानी पुत्री सांईदास जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/6 शान्ति पुत्री सांईदास जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक: 22.01.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:09 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक [illegible] डी [illegible] सील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–80/48 का किला नं.–11 ता 14 व [illegible] ता 23 का कुल [illegible] की एवज मे जो चक 3 एन डी का मुरब्बा नं.–255/478 का किला नं.–5 ता 7 [illegible] 25 कुल 11 बीधा एकीकर की कार्यवाही को वादीया के [illegible] ना जाकर एवंम चक 5 एन डी के उपयुर्क्त वर्णित 11 बीधा को रकबा राज करने की कार्यवाही को अवैध एवं निरर्थक माना जाकर वादीया के उपयुर्क्त चक 5 एन डी के 11 बीधा वादीया के अधिकार एवं अधिमत्य मे होना माना जाकर वादीया को इस कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे व वादीया चक 5 एन डी का मुरब्बा नं.–80/48 का किला नं.–11 ता 14 व 17 ता 23

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कुल 11 बीधा की खातेदार कृषक है। जिसमे वादीया के अधिकार एवं अधिपत्य व उसके उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने व करवाने से बाज व ममुन रहे।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से स्टेट जबाव प्राप्त किया गया। प्रकरण मे विवाधक कायम की गई। वादी साक्ष्य में गवाह भगवानदास, लीलूराम, के बयान लेखबद हुए।
तदुपरांत इस न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 25.02.2009 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया गया।
वादीगण ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक़ 25.05.2009 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील सं.–37/2009 अनवानी भगवान दास बनाम् सरकार आदि प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं.–37/2009 का निस्तारण दिनांक 30.10.2015 को किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वादी/अपीलांट को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर देकर स्पष्ट निर्णय पारित किया जावे।
उक्त प्रकरण दिनांक 05.12.2016 माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर रिमाण्ड होने पर प्रकरण मे सुनवाई की गई। दौरान सुनवाई वादीगण द्वारा गवाह आदुराम ने शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 18 नियम 4 सीपीसी व गवाह हेतराम ने शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2025 को पुनः प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड वाद पत्र में वर्णित भूमि मौजा खाल का खसरा 120 की 10.11 बीघा भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड सूची नं.–4 के अनुसार उक्त भूमि मुरब्बा बन्दी में चक 5 एनडी के पं.नं.–249/487 के किला नं.–23, 24 की 2.00 बीघा एवं पं.नं.–80/40 के किला नं.–15, 16, 25 की 3.00 बीघा एवम पं.नं.–80/48 के किला नं.–11, 12, 19 से 21 की 5.00 बीघा कुल 10.00 बीघा में परिवर्ततीत हुई। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उपरोक्त भूमि में से चक 5 एनडी के पं.नं.–249/487 के किला नं.–23, 24 की 0.506 हैक्टेयर भूमि देवीलाल पुत्र रेड़ाराम मेघवाल निवासी 3 एनडी एवं पं.न. –80/40 के किला नं.–15, 16, 25 की 0.734 हैक्टेयर भूमि प्रेमकुमार व हनुमान पुत्र साहबराम ब्राहम्ण निवासी 11 एलएनपी के नाम सयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। एवम पं.नं.–80/48 के किला नं.–11, 12, 19 से 21 की 1.265 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार चक 5 एनडी पं.नं.–80/48 के किला नं.–11, 12, 19 से 21 की 1.265 हैक्टयर भूमि मौका पर राजकुमार पुत्र भगवानदास के द्वारा नाजायज फसल कास्त की हुई है। शेष भूमि अन्य खातेदार कास्तकारों के द्वारा अपने हिस्सा के अनुसार मौका पर कास्त की जा रही है। प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र में दर्ज अन्य तथ्यो के सम्बन्ध में रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नही है। पटवारी रिपोर्ट की फोटो कोपी की प्रति इस पत्र के सलग्न करके रिपोर्ट श्रीमान जी सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। चूकि प्रकरण में तनकी सं.–1 से 5 आपस में सम्बद्ध हैं इसलिए तनकी संख्या 1 से 5 का निर्णय सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है वादीगण ने इस वाद के जरिए भूमि एकीकरण से प्रभावित विवादित भूमि के सब[illegible] एकीकरण सबधं में वादीगण को यदि कोई एंतराज हो तो उन्हे सक्षम न्यायालय में [illegible] करनी चाहिए थी दावा के माध्यम से वादीगण एकीकरण को चुनौति दी [illegible] से मुरब्बा बन्दी की सूची नं.–4 प्रस्तुत पेश की है। तहसीलदार (भू0अ0) [illegible] रिपोर्ट के अनुसार चक 5 एनडी के पं.नं.–249/487 के किला [illegible] हैक्टयर भूमि देवीलाल पुत्र रेड़ाराम मेघवाल निवासी 3 एनडी एंव पं.न.–80/40 के किला नं.–15, 16, 25 की 0.734 हैक्टयर भूमि प्रेमकुमार व हनुमान पुत्र साहबराम ब्राहम्ण निवासी 11 एलएनपी के नाम सयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। लेकिन देवीलाल, प्रेमकुमार व हनुमान को वादीगण पक्षकार मुकदमा नही बनाया है और ना ही इनके नाम से आंवटन आदेश को चुनौती दी है। एवं पं.नं.–80/48 के किला नं.–11, 12, 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:09 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

से 21 की 1.265 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज है। अतः विवेचन अनुसार वादीगण वाद–पत्र एवं तनकी संख्या 1 से 5 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हें। तनकी संख्या 1 से 5 का विनिश्चिय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 6 अनुतोषः– चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1 ता 5 एवं वाद–पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए वादीगण का वाद–पत्र काबिल खारिज है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज **दिनांक** 22/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:09 IST
Reason: SelfAttested